किला मूलतः राजशक्ति और सामरिक महत्व का प्रतीक होने के साथ–साथ देश की एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक अस्मिता को भी दर्शाता है।

अमर सिंह गेट एवं किले का विहंगम दृश्य

आगरा किला भारत का एक अति महत्वपूर्ण एवं सुविख्यात किला है जो यमुना नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पराक्रमी मुगल सम्राट अकबर महान द्वारा 1565–73 ई. के मध्य इस किले का निर्माण कराया गया। लगभग 2.5 किमी. परिमाप में फैला आगरा किला, योजना में अर्द्धवृत्ताकार है जिसका शीर्ष भाग नदी की धारा के समानान्तर है । इसमें दो प्राचीरें हैं जिनमें समान दूरी पर चौड़े तथा विषम वृत्ताकार बुर्ज हैं तथा जिसमें बन्दूक व तोप चलाने के लिए विवर (छिद्र) बने हुए हैं। इसके परिसर में स्थित अनेक शाही महल, भवन, मस्जिदें इस किले की शोभा बढ़ाती हैं जिनमें कहीं अकबर के समय की समन्वयात्मक शैली तथा कहीं शाहजहाँ के समय की उत्कृष्ट रमणीयता परिलक्षित होती है। इसके प्राचीर के निर्माण में कदाचित पहली बार तराशे गये लाल पत्थर प्रयोग में लाये गये हैं जिन्हें बड़ी बारीकी से जोड़ा गया है।

अमरसिंह दरवाजा का अन्तरिक भाग

ऐसा माना जाता है कि मूलतः ईटों से निर्मित आगरा किला 1475 ई0 में बादल सिंह द्वारा बनवाया बादलगढ़ किला था, जिसे चौहान राजाओं द्वारा निर्मित किला भी कहा जाता है, जिसको महमूद गजनवी ने अपने अधीन किया था। इसी प्रकार इसी अवशेष पर सिकन्दर लोदी (1489–1517 ई0) ने पठानों का किला बनवाया था तथा इसे द्वितीय राजधानी के रूप में महत्व दिया गया। पुनः इब्राहिम लोदी (1517–1526 ई0) के अधिकार में भी यह किला रहा, जिसे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1526 ई0 में पानीपत के मैदान में जीता था। उसने अपने पुत्र हुमायूँ को आगरा भेजकर किले पर कब्जा किया तथा कोहिनूर हीरे सहित विशाल खजाना भी जब्त किया। 1530 ई. में यहीं पर हुमायूँ का राज्याभिषेक भी हुआ था। हुमायूँ की पराजय के बाद सूर वंश के शेरशाह (1538–45) ने आगरा किले को अपने अधीन कर लिया।

अकबर ने अपने शासनकाल में 1565 ई. में इस किले के जीर्णोद्धार शुरु कराकर लाल बलुए पत्थरों का प्रयोग करके आठ वर्षों में प्राचीर तथा किले के अन्य भवनों का निर्माण कराया था। यह निर्माण कार्य अकबर के प्रधान सेनापति तथा काबुल के गवर्नर कासिम खां के निर्देशन में हुआ।

दीवान -ए- आम

अकबर का पुत्र जहाँगीर ज्यादा समय तक लाहौर एवं कश्मीर में रहा लेकिन आगरा की यात्रा नियमित करता रहा तथा इस दौरान वह आगरा किले में ही रहा। जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ ने भी यद्यपि अपनी राजधानी 1648 ई. में औपचारिक रूप से दिल्ली स्थानान्तरित कर ली थी लेकिन फिर भी उसने इस किले का अपने आवास के रूप में उपयोग किया।

विशाल मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा किला अपने सीने में अनेक दर्द दफन किये हुए है। यह अपना पराक्रमी गौरव भी नहीं बचा सका। फलस्वरूप आगरा किले को मोर्चाबन्दी एवं हत्या जैसी अनेक घटनाओं से गुजरना पड़ा। जाट एवं मराठाओं के शासन काल में इसे काफी क्षति पहुँची।

1803 ई. में अंग्रजों ने किले को मराठों से छीना था। 1857 ई. के विद्रोह मे अंग्रेजों ने विद्रोहियों एवं आगरा की जनता से बचने के लिये इस किले को अपनी शरण स्थली बनाया। यद्यपि इस किले ने मुगल साम्राज्य का आकर्षण तथा भव्यता खो दी है, फिर भी यह पर्यटकों के अवलोकन हेतु एक श्रेष्ठ विकल्प है।

सिंहासन कक्ष दीवान -ए- आम

आगरा किले में 4 मुख्य प्रवेश द्वार थे परन्तु वर्तमान में प्रसिद्ध अमर सिंह द्वार तथा दिल्ली द्वार ही प्रयोग में लाये जाते हैं। शेष दो दरवाजों हाथी–गेट एवं खिजरीगेट (जलद्वार) को स्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है और यह वर्तमान समय में भारतीय सेना के नियंत्रण में है।

किले के दक्षिणी तरफ भव्य अमर सिंह द्वार स्थित है। इसके दायीं ओर जहाँगीरी महल बना है। जहाँगीरी महल स्थापत्यकला के भिन्न अवयवों के समन्वय का प्रतीक है।

जहाँगीरी महल एवं जहाँगीरी स्नान हौज

इसके सामने संगमरमर का एक विशाल हौज है जिसमें फारसी भाषा की नस्तालिक लिपि में 1611 ई. में इसके निर्माण की तिथि अंकित की गयी है। यह तिथि जहाँगीर एवं नूरजहाँ के विवाह से संबंधित है। यह वृत्ताकार स्नान का हौज ग्रेनाइट पत्थर की एक विशाल शिला से बनाया गया है।

नदी के किनारे खास महल (आराम गाहे मुकद्दस) में एक श्वेत संगमरमर का मनोहर सभाकक्ष है, जिसकी छत में शाहजहाँ शैली के स्थापत्य की चित्रकलायें बनी हुई हैं। दो सुनहरे मंडप और दर्शन हेतु निर्मित झरोखा मुगल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। किसी समय ये मंडप मुगल शहजादियों जहाँआरा तथा रोशनआरा के आवास थे। उसी के सामने 'अंगूरी बाग' है जिसमें कुमुदिनी से सजा जलाशय तथा मोमबत्ती रखने का आला बना है एवं विशाल आयताकार 67.6 मी. × 52 मी. आकार का परिसर है। खास महल के सामने चारबाग पद्धति का उद्यान बना है जिसमें लाल बलुए पत्थरों के छोटे षट्कोणीय ढांचे बने हैं। यहाँ अकबर महान ने अपनी साम्राज्ञी एवं अन्य महिलाओं के लिए हरम भी बनवाया था। कहा जाता है कि इस उद्यान के लिए कश्मीर से मिट्टी मंगवायी गयी थी। शीशमहल एवं शाही हमाम को महिलाओं द्वारा परिधान कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसकी दीवारों, मेहराबों एवं छतों में सुन्दर छोटे–छोटे शीशों को जड़ा गया है। यह खास महल के उत्तर की तरफ स्थित है। इसे शाहजहाँ ने 1637 ई. में अपने परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए तुर्की हमाम के रूप में बनवाया था। इसके उत्तर–पूर्व में एक द्विमंजिली अष्टभुजाकार मुसम्मन बुर्ज का मण्डप है, जिससे ताजमहल का सुन्दर दृश्य दिखलाई पड़ता है। इसी में शाहजहाँ को उसके पुत्र द्वारा बन्दी बनाकर रखा गया था, जिसमें उसने अपने जीवन के कुछ आखिरी वर्षों को अपनी पुत्री जहाँआरा एवं कुछ अन्य शाही महिलाओं के साथ बिताया था।

मुसम्मन बुर्ज

मच्छी भवन एवं दीवान -ए-खास

पास ही में मीना मस्जिद संभवतः संसार की सबसे छोटी मस्जिद है जो सम्राट की व्यक्तिगत मस्जिद थी। मुसम्मन बुर्ज से आगे दीवाने–खास एक अत्यंत अलंकृत खुला सभाकक्ष है, जहाँ शाही दरबार एवं सभायें आयोजित होती थीं। इसके स्तम्भों पर पेट्रा ड्यूरा शैली में सुन्दर चित्रकारी की गई है। अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार इसे शाहजहाँ द्वारा 1636 में सफेद संगमरमर द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि इस भवन को उन्हीं कलाकारों द्वारा निर्मित किया गया था जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। इसके विपरीत दिशा में मच्छी भवन है जो कभी भव्य जल महल हुआ करता था। इसके पश्चिम में दीवाने–आम (जन साधारण का सभाकक्ष) है जिसे महान अकबर ने लकड़ी से बनवाया था जिसे बाद में 1.25 मी. ऊँचा चतुर्भुजाकार 61.77 मी., 20. 12 मी. के आकार के चबूतरे पर लाल बलुए पत्थर से बने और संगमरमरी पलस्तर से सज्जित एक विशाल भवन में तब्दील कर दिया गया। शाहजहाँ के इतिहासकारों एवं कवियों ने इसे ''इवान – ए–दौलतखाना –व–खास–ओ–आम'' (आम जनता के लिए सभाकक्ष) और ''इवान–ए–चेहिल सुतुन'' (चालीस खम्बों वाला समाकक्ष) कहा है जिसे अब दीवाने–आम कहा जाता है। इसके उत्तर–पश्चिम में नगीना मस्जिद स्थित है जिसे 1635–36 ई. में शाहजहाँ ने संगमरमर से निर्मित कराया था, जिसमें दीवाने–खास के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अमीर, उमरा तथा अधिकारीगण नमाज अदा करते थे। यह मस्जिद सुरुचिपूर्ण है। इसके निचले तल में मीना बाजार (महिलाओं की हस्तकला का बाजार) स्थित है, जहाँ शाही हरम की महिलाओं के लिए व्यापारी अपनी कलाओं के नमूने, रेशम, ज़री के काम तथा आभूषण आदि नीचे परिसर में सजाते थे।

मोती मस्जिद

दीवाने–आम के उत्तर की तरफ शाहजहाँ द्वारा संगमरमर से निर्मित विशाल मोती मस्जिद है। यह मूलतः लाल बलुए पत्थरों से निर्मित है परन्तु समग्र आन्तरिक भाग श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है। यह शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा की प्रथम मस्जिद है। अभिलेखों के अनुसार इसे शाहजहाँ ने 1648–55 के मध्य सात वर्षों में तीन लाख रुपये की लागत से निर्मित कराया था।

दीवान-ए-खास एवं मुसम्मन बुर्ज

इसके बावजूद आगरा किला में लौकिक एवं धार्मिक दोनों प्रकृति के अनेक सुन्दर भवन जैसे अकबरी महल, अकबर की बावली, पचीसी कोर्ट, दर्शनी दरवाजा, जहाँगीर का तख्त (काले संगमरमर का सिंहासन) सलीम गढ़, रतन सिंह की हवेली, सोमनाथ गेट एवं जान रसेल कोलविन का मकबरा, आदि हैं।

नगीना मस्जिद

शाहजहाँ के आरंभिक काल में निर्मित भवन अपने डिजाइनों, प्रवेश द्वार, शाहजहाँनी स्तम्भों, अर्द्धस्तम्भों, शीर्षों, विशाल मेहराबों, संगमरमर के भव्य गुम्बदों आदि के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुसम्मन बुर्ज आन्तरिक दृश्य

1920 ई. में इस किले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर भारत सरकार के संरक्षण में लिया गया है। 1983 में आगरा किले को यूनेस्को द्वारा विश्वदाय सूची में सम्मिलित किया गया है।

सार्वजनिक सूचना :–

समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में किसी भी मरम्मत/भवन नवीनीकरण/वास्तु संरचना आदि के निर्माण के पूर्व (प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 तथा प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत) सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है।

दिल्ली दरवाजा का आन्तरिक भाग

- संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के न्यूनतम ''प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र'' और ''विनियमित क्षेत्र'' की सीमाएं संरक्षित क्षेत्र से क्रमशः 100 मी. और प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र के आगे 200 मी. निर्धारित की गई हैं।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में किसी सार्वजनिक परियोजना अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून 1992 से पूर्व हुये निर्माणों में भी मरम्मत/जीर्णोद्धार आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
- उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- भारत सरकार द्वारा अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत/निर्माण के लिए अनुमति के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मण्डलायुक्त, आगरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृपया :–

- स्मारक को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें।
- स्मारक के प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाए रखने में सहयोग दें।
- यदि कोई व्यक्ति स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाता दिखे तो उसे रोकें व सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करें।
- अपनी विरासत की महत्ता को समझते हुए इसकी सुरक्षा हेतु जन संचेतना के प्रचार–प्रसार में सहयोग दें।
- स्मारक की गरिमा को बनाए रखें।
- यह स्मारक एक अमूल्य धरोहर है, इसे सहेज कर गौरवान्वित महसूस करें।

प्रकाशक

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

आगरा मण्डल, 22 माल रोड़, आगरा–282001

दूरभाष सं०. 91-562-2227261 / 63 Fax-91-562-2227262

ई–मेल:- circleagr.asi@gmail.com

वेबसाइट : www.asiagracircle.in

विभागीय वेबसाइट : www.asi.nic.in

© भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

2013

आगरा किला

मुगल पराक्रम का प्रतीक

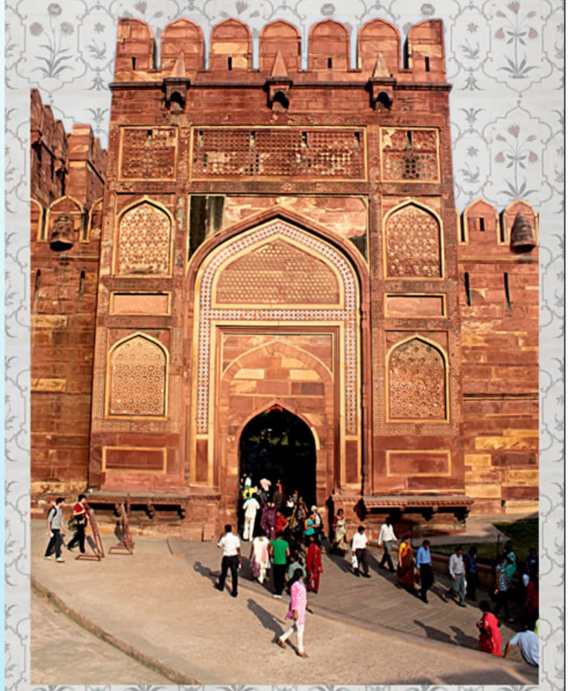

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आगरा मण्डल, आगरा